



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1901]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936

No. 1901]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 26, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2014

का.आ. 2423(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 और 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1390(अ) दिनांक 28 मई, 2013 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात्:-

अनुसूची

(राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-4 पर हुबली - धारवाड़ बाइपास के प्रयोक्ताओं से प्रकाशन की तारीख से वसूल की जाने वाली दरें)

क्र. सं.	वाहनों की श्रेणी	फीस - श्रेणी ए, रुपए, प्रति वाहन प्रति ट्रिप	फीस - श्रेणी एबी, रुपए, प्रति वाहन प्रति ट्रिप	फीस - श्रेणी बी, रुपए, प्रति वाहन प्रति ट्रिप	फीस - श्रेणी सी, रुपए, प्रति वाहन प्रति ट्रिप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कार अथवा जीप अथवा वैन	28.00	28.00	37.00	50.00
2.	बस	28.00	43.00	136.00	177.00
3.	ट्रक	28.00	52.00	165.00	215.00
4.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	28.00	31.00	101.00	124.00
5.	बहु धुरीय वाहन	28.00	47.00	161.00	196.00

फीस श्रेणी:

फीस श्रेणी ए: अयोध्या नगर सड़क क्रॉसिंग पर प्रवेश करने वाले और बाइपास के हुबली अंत की ओर बढ़ने वाले तथा प्रतिलोमानुक्रम वाले वाहन तथा धारवाड़ – गोवा इंटरचेंज से प्रवेश करने वाले और बाइपास के धारवाड़ अंत की ओर बढ़ने वाले तथा प्रतिलोमानुक्रम वाहन (दोनों अंत फीस के रूप में उल्लिखित)

फीस श्रेणी एबी: तरीहाल सड़क इंटरचेंज से प्रवेश करने वाले और कालघाटगी सड़क क्रॉसिंग अथवा करवार सड़क इंटरचेंज अथवा अयोध्या नगर इंटरचेंज की ओर बढ़ने वाले और प्रतिलोमानुक्रम वाले वाहन

फीस श्रेणी बी: कालघाट की सड़क क्रॉसिंग से प्रवेश करने वाले और बाइपास के हुबली अंत तक अथवा धारवाड़ अंत की ओर बढ़ने वाले तथा प्रतिलोमानुक्रम वाले वाहन (आंशिक फीस के रूप में उल्लिखित)

फीस श्रेणी ग: बाइपास के हुबली अंत अथवा धारवाड़ अंत अयोध्या नगर इंटरचेंज और धारवाड़ गोवा सड़क इंटरचेंज से प्रवेश करने वाले और कालघाट की सड़क क्रॉसिंग से बाहर एक बिंदु की ओर बढ़ने वाले और प्रतिलोमानुक्रम वाहन।”

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/62/2003-केएनटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 1199 (अ) 13 मई, 2009 के तहत प्रकाशित की गई थी और बाद में का. आ. 1089(अ) 13 मई, 2010, का.आ. 1060(अ) 13 मई, 2011, का.आ. 1056(अ) 05 जुलाई, 2012 और का.आ. 1390(अ) 28 मई, 2013 के द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2014

S.O. 2423(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 7 and 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Department of Road Transport & Highways) number S.O. 1390(E) dated the 28th May, 2013, namely;

For the Schedule to the said notification, the following Schedule shall be substituted, namely:-

“SCHEDULE

(Rates to be recovered from users of Hubli-Dharwad Bypass on National Highway No. 4 w.e.f. date of publication)

Sl. No.	Categories of Vehicles	Fee Category A, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category AB, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category B, in Rupees, per Vehicle per Trip	Fee Category C, in Rupees, per Vehicle per Trip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Car or Jeep or Vans	28.00	28.00	37.00	50.00
2.	Buses	28.00	43.00	136.00	177.00
3.	Truck	28.00	52.00	165.00	215.00
4.	Light Commercial Vehicles	28.00	31.00	101.00	124.00
5.	Multi-Axle Vehicles	28.00	47.00	161.00	196.00

Fee Category :

Fee Category A: Vehicles entering at Ayodhyanagar road crossing and leaving towards Hubli end of the Bypass and vice versa as well as vehicles entering from Dharwad-Goa interchange and leaving towards Dharwad end of the Bypass and vice versa (also referred as Both End Fee).

Fee Category AB: Vehicles entering from Tarihal Road Interchange and leaving towards Kalghatgi Road crossing or Karwar Road Interchange or Ayodhyanagar Interchange and vice versa.

Fee Category B: Vehicles entering from Kalghatgi Road crossing and leaving towards Hubli end or Dharwad end of the Bypass and vice versa (also referred as partial fee).

Fee Category C: Vehicles entering from the side of Hubli end or Dharwad end of the Bypass and from Ayodhyanagar interchange and Dharwad Goa Road Interchange and leaving towards a point beyond Kalghatgi Road crossing and vice versa (also referred as Through fee).”

[F.No. RW/NH-12037/62/2003-KNT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 1199(E), dated 12th May, 2009 and subsequently amended vide numbers S.O. 1089(E) dated the 13th May, 2010, S.O. 1060(E) dated 13th May, 2011, S.O. 1506(E) dated 5th July, 2012 and S.O. 1390(E) dated the 28th May, 2013, namely.